भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2636
दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

बाढ़ के कारण हानि

2636. श्री दुलाल चंद्र गोस्वामीः
श्री सुभाष चन्द्र बहेड़ियाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश को प्रति वर्ष बाढ़ के कारण अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ रहा है; और
(ख) यदि हां, तो बाढ़ के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और देश में मानसून द्वारा आई आपदा से निपटने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): जी, हाँ। बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है और बाढ़ प्रबंधन के लिए विभिन्न स्कीमें संबंधित राज्यों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार नाजुक क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

देश में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) नोडल एजेंसी है। सीडब्ल्यूसी देश में 20 प्रमुख नदी प्रणालियों को शामिल करते हुए 22 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 325 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों का रख-रखाव करता है। सभी सम्बंधित स्टेकहोल्डरों को यथोचित एहतियाती उपाय करने के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा बाढ़ सम्बन्धी पूर्व-चेतावनी

वास्तविक समय (रियल टाइम) के आधार पर प्रदान की जाती है। वास्तविक समय पर पूर्वानुमान की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, सीडब्ल्यूसी ने अपने आंकड़ों के संग्रहण और बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी नेटवर्क का आधुनिकीकरण किया है। देश भर में विभिन्न मॉडलिंग केन्द्रों में जल-मौसम विज्ञान (हाइड्रो-मेटेरोलॉजिकल) संबंधी आंकड़े स्वतः प्राप्त होते रहते हैं।

भारत ने अपने निरंतर प्रयासों से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की अपनी तैयारियों में उल्लेखनीय सुधार किया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को विकास की योजना में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009 में सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करने की अपेक्षा की गई है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वर्ष 2006 में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। राज्य स्तर पर, सभी राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और 680 से अधिक जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) की स्थापना की गई थी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन निधियों का सृजन करके आपदा संबंधी कारवाई के प्रबंधन के लिए वित्तीय तंत्र की स्थापना की गई है।

मानसून के कारण आने वाली आपदाओं सहित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपाय **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

****

अनुलग्नक

दिनांक 09.07.2019 का लोक सभा अता. प्र. सं. 2636

मानसून के कारण आने वाली आपदाओं सहित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपायों को दर्शाने वाला विवरण

- वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी करना।
- भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने, चक्रवातों और भारी बारिश आदि जैसे गंभीर मौसम संबंधी लक्षणों के बारे में अपनी पूर्वानुमान प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार किया है और वह देश में चेतावनियाँ और परामर्शी बुलेटिन जारी करता है।
- आईएमडी ने अप्रैल 2019 से गरज वाले-तूफ़ान (थंडर-स्टार्म) और बिजली गिरने (लाइटनिंग) के सम्बन्ध में पूर्वानुमान शुरू किया है जिसके लिए उन्होंने 48 लाइटनिंग सेंसर लगाए हैं। बिजली गिरने सम्बन्धी पूर्वानुमान की सूचना के प्रसारण के लिए दामिनी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया गया है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा बाढ़ एवं चक्रवात प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देशों सहित विभिन्न आपदाओं के संबंध में 26 दिशानिर्देशों का प्रकाशन।
- तत्काल कारवाई के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की स्थापना और आपदा की आशंका वाले क्षेत्रों में एनडीआरएफ की पहले से तैनाती और देश के विभिन्न संवेदनशील स्थानों में उनकी पूर्व तैनाती।
- राज्यों को अपना स्वयं का राज्य आपदा मोचन बल गठित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीमों के जरिये राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करना।
- बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण और तटीय समुदायों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आपदाओं का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए मॉक ड्रिल, जागरूकता अभियान, ऑडियो एवं विजुअल अभियान और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- एनडीएमए, एनडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा आपदा प्रोफेशनल्स और समुदायों की क्षमता का संवर्धन करना।
- स्कीम के अंतर्गत आने वाले चिह्नित जिलों में से देश के 25 राज्यों में बाढ़ की अधिक संभावना वाले 30 जिलों में आपदा के दौरान कार्रवाई करने के लिए 6000 सामुदायिक स्वयंसेवकों (200 स्वयंसेवक प्रति जिला) को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य के साथ आपदा मित्र स्कीम।
- किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने हेतु उनकी तैयारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभागों के राहत आयुक्तों एवं सचिवों का वार्षिक सम्मलेन आयोजित करना।

******